न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–44/2019 प्रार्थना पत्र
श्रीमति सुगना देवी पत्नि नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———प्रार्थीया

बनाम

1–श्री बद्री पिता गोकल जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री बालू पिता मगना जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्री रामेश्वर पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4–श्री चतरा पिता धूकल जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
5–श्री बद्री पिता खुमा जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
6–श्री गणेश पिता मीठू जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7–श्री शंकर पिता रूपा जाट, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
8–श्रीमति रेखा पत्नि प्रदीप सुराणा, उम्र बालिग निवासी 10–मैन सैक्टर, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9–श्री रामेश्वर पिता भैरू जलानिया (जाट) उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
10–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————विपक्षीगण

———————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–19.7.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 269, 282, 471, 455, 486, 525 कुल किता 6 रकबा ... एवं आराजी नम्बर 228, 229, कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज ... है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा निश्चित नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.1..2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण संख्या 1,2,3,4,5,6,9 व 10 को कितनी ही मर्तवा विधिवत आवाजे दिलवाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 8.7.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश ... गया हैं। वकील प्रार्थिया द्वारा विपक्षी संख्या 7 व 8 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 8.7.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गयी ।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल कांटते समय सीमा बावत विपक्षीगण से विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूॅ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के त स्वीकार किया जाकर कि ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में त हाल आराजी नम्बर 269, 282, 471, 455, 486, 525 कुल किता 6 रकबा 6 बीघा एवं आराजी बर 228, 229, कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी ये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, आटूण को 0/–रूपये (पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस र्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.7.2010 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner